न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /पुनर्विलोकन/I/2015 भिण्ड

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक द्वारा आज दि. 16-12-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. महाराज सिंह 2. कोकसिंह 3. सुरेन्द्र सिंह 4. राकेश सिंह 5. वीरेश सिंह 6. गोपाल सिंह 7. नरेश सिंह पुत्रगण बुद्ध सिंह ठाकुर, 8. बेवा छोटी बिटिया पत्नी स्व. बुद्ध सिंह, निवासी–ग्राम विजपुरी, तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती तुलसादेवी पत्नी स्व. लाखन सिंह 2. ब्रजेश सिंह 3. विनोद सिंह 3. मनोज सिंह 4. राजेश सिंह 5. अनिल सिंह पुत्रगण स्व. लाखन सिंह ठाकुर, निवासी–ग्राम विजपुरी, तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

पुंनर्विलोकन आवेदनपत्र धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश सदस्य एम.के. सिंह राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्र. आर–872/II/2007 भिण्ड लाखन सिंह आदि बनाम महाराज सिंह आदि आदेश दिनांक 08–10–2015 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20–11–2015 को प्राप्त हुई।

श्रीमान् जी,

पुनर्विलोकन के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, निगरानी प्र.क्र. 872/II/2007 में अनावेदक क्र. 8 बुद्धसिंह की मृत्यु दिनांक 23–05–2008 को हो गई जो अपने पुत्रों से अलग रहती है, पुत्रगण को इस बात की जानकारी नहीं थी जबकि निगरानीकर्ता को पक्षकार क्र. 8 की मृत्यु की जानकारी थी उन्होंने जानकारी होने के बाद भी न्यायालय में जानकारी नहीं जबकि मृत पक्षकार के वैधानिकों को वारिसों पर लिये बिना जो आदेश पारित किया, इस कारण भी आदेश निगरानी संशोधित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

कुशवाह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4015–एक/ 15 जिला –भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	आवेदक की ओर से श्री कुंअर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 872/दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 08.10.15 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 4015/एक/15 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 872/एक/2007 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 08.10.15 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 4015/एक/15 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य